राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक / अधिवक्ता का नाम	नियमित पदोन्नति वर्ष एवं आलोच्य आदेश दिनांक, अनुलग्नक
1.	4261 / 2021 कृष्णवीर सिंह	1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस, जयपुर। 3. महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस, जयपुर। 4. पुलिस अधीक्षक, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।	27.09.2021	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता	वर्ष 2017–18 एवं 21.09.2021 (अनुलग्नक–1)
2.	4262 / 2021 राजवीर सिंह	1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस, जयपुर। 3. महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस, जयपुर। 4. पुलिस अधीक्षक, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर। 5. पुलिस अधीक्षक, जिला करौली।		श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता	वर्ष 2016–17 एवं 21.09.2021 (अनुलग्नक–1)
3.	4263 / 2021 घनश्याम				वर्ष 2016–17 एवं 21.09.2021 (अनुलग्नक–1)
4.	4264 / 2021 प्रमोद सिंह	1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस, जयपुर। 3. महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस, जयपुर। 4. पुलिस अधीक्षक, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर। 5. पुलिस अधीक्षक, जिला श्रीगंगानगर।		श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता	वर्ष 2018–19 एवं 21.09.2021 (अनुलग्नक–1)

आदेश की दिनांक : 28.02.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 4261 / 2021 कृष्णवीर सिंह बनाम प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में

शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2015 में अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। उसके पश्चात् दिनांक 13.10.2019 को अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी., जयपुर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को राजस्थान राज्य में फैले आंतकवादी संगठन इण्डियन मुजाहिदीन की स्लीपर सेल व आई.एस.आई.एस. के नेटवर्क के खुलासा करने में अहम भूमिका निभाने वाले ए.टी.एस. में पदस्थापित अपीलार्थी को सहायक उप निरीक्षक के पद हेतु राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1989 के नियम 28बी के अंतर्गत विशेष पदोन्नति दिए जाने हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया तथा अपीलार्थी के साथ में कुलवीर सिंह का भी प्रस्ताव भिजवाया गया, जिस पर दिनांक 30.12.2019 के द्वारा अपीलार्थी को उक्त प्रावधानों के अंतर्गत विशेष पदोन्नति के प्रावधानों के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक के पद हेतु वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति करने के आदेश पारित किए गए। परंतु अपीलार्थी को पी.सी.सी. में नहीं भेजा गया। उक्त समय में प्रत्यर्थी विभाग ने फरवरी, मार्च, 2020 में सहायक उप निरीक्षक की नियमित पदोन्नति हेतु वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध परीक्षा आयोजित की, जिसमें अपीलार्थी शामिल हुआ तथा संपूर्ण प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने के पश्चात् आदेश दिनांक 27.03.2020 के द्वारा अपीलार्थी का सहायक उप निरीक्षक के पद पर वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध नियमित चयन किया गया तथा पी.सी.सी. में भेजा गया, जिसमें उत्तीर्ण होने पर अपीलार्थी को वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। *महानिदेशक पुलिस मुख्यालय राजस्थान पुलिस, जयपुर के आदेश दिनांक 16.08.2016 के बिंदु संख्या 3 में यह प्रावधान किया गया कि विशेष पदोन्नति आदेश की दिनांक से पूर्व की रिक्तियों के आधार पर नियमित पदोन्नति हो जाने की स्थिति में विशेष पदोन्नति नियमित पदोन्नति के अग्रिम पद पर मानी जावे।* उक्त प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी की वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध नियमित पदोन्नति सहायक उप निरीक्षक के पद पर होने के पश्चात् महानिदेशक पुलिस के आदेश दिनांक 16.08.2016 के बिंदु संख्या 3 के अनुसार अपीलार्थी अगली पदोन्नति उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु उक्त प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थी के विशेष पदोन्नति के पुनः प्रस्ताव को प्रत्यर्थी

संख्या 4 ने आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2021 के द्वारा निरस्त कर दिया और उसे नकद लाभ दिया गया, जो उक्त प्रावधानों के विपरीत है।

माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 1086/2011 देरावर सिंह बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 02.07.2014 को अपीलार्थी के समान तथ्यों पर अपील स्वीकार करते हुए नियमित पदोन्नति के पश्चात् विशेष पदोन्नति समस्त परिलाभों सहित देने के आदेश पारित किए हैं तथा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 399/2005 मोहम्मद युनुस खान बनाम राजस्थान राज्य में अपीलार्थी के समान तथ्यों पर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए नियमित पदोन्नति के पश्चात् विशेष पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी माना है। अपीलार्थी को भी वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति होने के कारण महानिदेशक, पुलिस के आदेश दिनांक 16.08.2016 के बिंदु संख्या 3 के अनुसार अपीलार्थी अगले पद की उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है।

उनका यह भी कथन है कि इसी प्रकार पुरस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अनुशंषा के आधार पर श्री लईक अहमद जिनको सहायक उप निरीक्षक से वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध (अग्रिम पद) उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए विशेष नामांकन किया गया। इसी प्रकार आदेश दिनांक 07.03.2019 (अनुलग्नक–7) के तहत 8 कार्मिकों का पुरस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा पर 8 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई। परंतु आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के द्वारा पुरस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा के आधार पर अपीलार्थी का नाम चयन होने के उपरांत भी प्रत्यर्थी संख्या 4 के द्वारा अपीलार्थी का नाम निरस्त कर दिया गया, जो उपर्युक्त प्रावधानों के विपरीत है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2021 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी को सहायक उप निरीक्षक की नियमित पदोन्नति के पश्चात् उप निरीक्षक की अगली पदोन्नति वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति करते हुए समस्त परिलाभ दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की वर्ष 2017–18 में हैड

कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति हो चुकी है तथा विभाग ने विशेष पदोन्नति को कमेटी की अनुशंषा के अनुसार निरस्त करते हुए रूपये 11000/– का नकद ईनाम देने के आदेश पारित किए गए हैं। राज्य सरकार का अधिकार है कि वह किस व्यक्ति को विशेष कार्य के लिए नकद लाभ दे या पदोन्नति दे। अपीलार्थी के संबंध में जो आलोच्य आदेश जारी किया गया है, वह नियमानुसार जारी किया गया आदेश है, जिसमें कोई दुर्भावना नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण को विशेष कार्य करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1989 के नियम 28(अ) के अंतर्गत विशेष पदोन्नति दिए जाने हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया था। जो पुरस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा पर शीर्षक की उक्त तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण के नाम भेजे गये थे और उन्हें प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.12.2019 (अनुलग्नक–2) के द्वारा पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम (पी.सी.सी.) के लिये विशेष नामाकंन किया गया। परंतु उन्हें पी.सी.सी. के लिये नहीं भेजा गया। आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण की नियमित पदोन्नति होने के कारण इनके प्रकरणों की पुनः विवेचना की गई जबकि अपीलार्थीगण की नियमित पदोन्नति विभाग द्वारा उनके रिक्ति वर्ष के विरूद्ध की गई। कार्यालय महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 16.08.2016 (अनुलग्नक–5) में बिंदु संख्या 3 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि *''विशेष पदोन्नति आदेश के उपरांत विशेष पदोन्नति आदेश दिनांक से पूर्व की रिक्तियों के आधार पर नियमित पदोन्नति हो जाने की स्थिति में विशेष पदोन्नति नियमित पदोन्नति के अग्रिम पद पर मानी जावे।''* अपीलार्थीगण की नियमित पदोन्नति वर्ष 2017–18, 2016–17, 2016–17 एवं 2018–19 की रिक्तियों के विरूद्ध (नियमानुसार) हुई है, जबकि पुरस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा पर अपीलार्थीगण की पदोन्नति रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध की गई है। प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी श्री कृष्णवीर सिंह जो तत्समय हैड कांस्टेबल के बतौर किए गए सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने पर सहायक उप निरीक्षक से अग्रिम पद उप निरीक्षक पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए रिवार्ड कमेटी के विचार में उपयुक्त नहीं पाए गए, हमारे विनम्र मत में

अनुलग्नक–7 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी श्री लईक अहमद जो हैड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, उनको विशेष पदोन्नति हेतु अग्रिम पद सहायक उप निरीक्षक पद के लिए प्रस्ताव भेजा गया, परंतु विभाग द्वारा उसे नियमित पदोन्नति के तहत सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर पुरस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा पर अग्रिम पद उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी नियमित पदोन्नति उपरांत सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर पुरस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28(अ) के प्रावधानानुसार अग्रिम पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी है क्योंकि कार्यालय महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 30.12.2019 (अनुलग्नक–2) के द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28(अ) के अंतर्गत वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध उक्त शीर्षक तालिका में अपीलार्थीगण के नामों का अग्रिम पद के लिए चयन कर अनुमोदित किया गया। परंतु उन्हें पी.सी.सी. के लिए नहीं भेजा गया, जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

इसी प्रकार अपीलार्थी के साथ श्री कुलवीर सिंह को सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने पर उसे कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर गठित रिवार्ड की अभिशंषा के आधार पर विशेष पदोन्नति प्रदान की गई। इस प्रकार एक ही मामले में भिजवाए गए प्रस्ताव में श्री कुलवीर सिंह, कांस्टेबल को हैड कांस्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति दी जाकर लाभ दिया गया है, परंतु अपीलार्थीगण को नहीं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा *एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10186/2011 देरावर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.07.2014 तथा डी.बी.सी.एस.ए. (रिट) संख्या 399/2005 मोहम्मद युनुस खान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2008 एवं डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 959/2011 अनूप सिंह राठौड़ बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.04.2018* में सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कार्मिकों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28(अ) के अनुसार अग्रिम पदोन्नति देना सही एवं उचित माना है।

उक्त विधि एवं प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण को विशेष पदोन्नति अग्रिम पद की नहीं दी गई जबकि नियमित पदोन्नति होने के पश्चात् नियमानुसार विशेष कार्यों के लिए जो पूर्व में विभाग द्वारा पुरस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा के आधार पर विशेष पदोन्नति देने का

निर्णय लिया गया था। इस प्रकार महानिदेशक पुलिस के आदेश दिनांक 16.08.2016 के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश पारित किए गए हैं, जो अनुचित व अयुक्तियुक्त परिलक्षित होता है। अपीलार्थीगण भी उक्त कार्मिकों की भांति सराहनीय एवं उत्कृष्ट जैसे विशेष कार्यों के लिए नियमित पदोन्नति के पश्चात् अग्रिम पद पर विशेष पदोन्नति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती हैं तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2021 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थीगण की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थीगण को कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.08.2016 के प्रकाश में नियमित पदोन्नति के पश्चात् आगामी वर्षों में अग्रिम पद पर विशेष पदोन्नति समस्त पारिणामिक लाभों सहित देते हुए पदोन्नत किया जावे और आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 4261/2021 कृष्णवीर सिंह बनाम प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य